

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

कार्यालय त्राप:-

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सौंपित वर्ष 2021-22 हेतु जिलेय तम तालीम तालीमी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विलोप प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन नई संस्थाओं का सम्बद्धता पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं को सम्बद्धता विलोप/अनुमोदन प्रवेश क्षमता वृद्धि प्रतिबन्धित करने का निर्णय किया गया एवं वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विलोप प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसूच में दिए संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण एवं वर्ष में अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विलोप प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2297-D N M INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY,SARAI SAHAJADI,BANTHARA KANPUR ROAD, LUCKNOW

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
3	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संशोधन विनियमकारी-2010 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही वार्षिक इनपुट पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो तालीम प्रोग्रामों पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्य/शाला से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/शालाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बुझ पर शर्तों द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शर्तों/आदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा प्रति वर्ष 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनताप ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में तदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अंशदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्षों के विना रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को तदनुसूच पर निर्भर शर्तों/आदेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बताये गये विधि/विनियम/अतिरिक्त/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त आवश्यक संस्था का होना और विधिक रूप से किन्हीं भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संभालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवीक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षासिद्धि। प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कक्षासिद्धि के सम्बन्ध में अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम मासिक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुक्ति भूमि, स्टाफ, मान-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त कलाभरण उपलब्ध करने के साथ-साथ रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रभावित/ संभालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के लक्ष्य उपलब्ध कराते गये अभिलेख, भूमि-मकान, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ अन्वय के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, मकान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मान-सज्जा ए0आई0पी0आई0आई0 पी0सी0आई0/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही ली जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, D N M INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SARAI
SAHAJADI, BANTHARA KANPUR ROAD, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार)**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अधिन राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मवीर अकादमिक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लिष संख 2020-21 हेतु विज्ञान कक्षीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आयोगिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्राशिक्ष समता पुष्टि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के 14-8-20 में झिल्लोन इन इन्डो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर विनियम निर्मित किया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्था विशाल द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों में करिबन पाठ्यक्रमों की प्रवेश समता में बदलाव किये जाने एवं एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने का अनुशंस किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किये गया एवं सत्र-2020-21 हेतु एम्आईटीआईटीईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अट्टल सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गये उपरोक्त नियमों के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विनियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अतिता प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्आईटीआईटीईओ/द्वारा सत्र 2019-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	2258	वीरगन्धर्व इंस्टीट्यूट ऑफ इजीई एवं टीआईसी संस्था का नाम - उत्तर प्रदेश	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभिन्न इकाई केडमिस्ट्री इंजीनियरिंग	00	100
				00	00
				00	100

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्आईटीआईटीईओ/पीसीआईआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवाली 1982, विनियम विनियमनवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राशिक्ष/संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लाह प्राप्त किया निर्मित किये जाने वाले शासनार्थक समती होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की समीक्षा करें (11/11) होंगी।
- ✓ संस्था को विनियम प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप विनियमों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमनवाली-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्थात्त शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनार्थक के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

20

- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश कानून द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/संशोधनों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम की संख्या यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अधिक कम से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी बंध बाध्य किया जाता है तथा समय-समय के समय में नए न्यायपाल्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संशोधक द्वारा प्रयोग वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अद्यतनित प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर नवितर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्देशिका के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आस्थापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकालय, स्टाफ, साधन-संपत्ति, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, आलोचना सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक सत्र के सत्रांत में उपलब्ध आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था ने प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को कक्षाये पाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने पर अभिलेख, पुस्तिकाएँ, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संभव हो तो किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरीक्षण समिति अनुशासनानुसार कार्यवाही करेगी।

(800 आशुतोष सिंह)
सचिव

पुंनसं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1872-3141

तारीख: 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, बीजापुर जिला शिक्षा अधिकारी एवं पीसीआई उत्तर प्रदेश सचिवालय, संयुक्त कानून विभाग, उत्तर प्रदेश।

(800 आशुतोष सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: राष्ट्रीय/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-9-2019

->कार्यालय ज्ञाप->

अतिरिक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित हुई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से अर्थात्त संस्थाओं पर सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/सर्वेक्षण समता पूर्ण/शर्तों हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक को 42-4 में द्वितीय पाली में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली द्विपी स्तरीय संस्था का प्रकरण उठाया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

* सलग्नक-3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित द्विपी स्तरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।*

इस निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गई अनुमति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अन्तर्गत 04 प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अतिरिक्त प्रवेश जनाता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/वी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश जनाता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित जनाता	सत्र में प्रवेश
1.	0284	डी0एल0एल0एल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई0आई0आई0, एम0एल0, बलभद्र रोड, लखनऊ।	एल0ई0एल0एल इंजीनियरिंग (मेकैनिक्स एंडी/ड्रींग)	00	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था अपने द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं एम0एल0एल0 प्राविधिक शिक्षा परिषद (सिन्धुगढाली) एम0एल0एल0 संस्था निर्मित निम्नलिखित एवं आदर्शों का अनुपालन करेगी तथा उक्त निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रमों हेतु कर 30,000.00/- (तीस लाख) की वार्षिक वार्षिकी पाठ्यक्रम हेतु 50- 45,000.00/- (अर्थात् एक लाख की वार्षिक पाठ्यक्रमों की वार्षिक वार्षिकी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु 50- 22,500.00 (अर्थात् दस लाख की वार्षिक प्रवेश/प्रवेश) से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त लागू/आवक्यों से शुल्क की संख्या में अंतर-समय 10 हजारों द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुमानित प्रमाणां हेतु, और अनुमानित आवक्यही किया जाना आवश्यक होगा। और निम्नलिखित समिति द्वारा प्रति सत्र 2019-20 हेतु शर्तों को पूर्णतःपालन किया जाता है तो प्रवेश की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (0000) प्राविधिक शिक्षा समिति एवं 04 आदर्शों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना निम्नलिखित 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

